

छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक - 332

प्रकरण क्रमांक -SM-EXP-2024-02467

आवेदक : छत्तीसगढ़ रेरा विरुद्ध "महामाया रेसीडेन्सी", प्रमोटर-माँ महामाया एसोसिएट्स, द्वारा-श्री रघुनाथ पोददार, पता-आकाशदीप, विवेकानंद चौक, मनेन्द्रगढ़, कोरिया प्रोजेक्ट-"महामाया रेसीडेन्सी" पता-रावाखेरबा, जिला-कोरिया (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
12/08/2024	<p>- प्रकरण प्रस्तुत।</p> <p>- अनावेदक द्वारा प्रतिनिधि उपस्थित।</p> <p>उनके द्वारा प्रोजेक्ट पंजीयन के विस्तारण के लिये दिनांक 26.07.2024 को प्राधिकरण के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया गया है।</p> <p>अनावेदक के विरुद्ध राशि 1,000/- (अक्षरी राशि एक हजार रूपये) शास्ति अधिरोपित की जाती है। अनावेदक शास्ति की राशि निर्धारित शासकीय मद में जमा करना सुनिश्चित करे।</p> <p>सही/- (धनंजय देवांगन) सदस्य</p> <p>सही/- (संजय शुक्ला) अध्यक्ष</p> <p>पुनश्च:</p> <p>प्राधिकरण द्वारा अधिरोपित शास्ति की राशि रूपये 1,000/- को अनावेदक द्वारा निर्धारित शीर्ष मद में दिनांक 12.08.2024 को जमा कर चालान की मूल प्रति पेश किया गया। मूल प्रति लेखा शाखा को प्रेषित कर प्रकरण में छायाप्रति संलग्न करे।</p> <p>प्रकरण में कार्यवाही शेष नहीं होने के कारण समाप्त किया गया। प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया। अभिलेख कोष्ठ में दाखिल किया जावे।</p> <p>सही/- (धनंजय देवांगन) सदस्य</p> <p>सही/- (संजय शुक्ला) अध्यक्ष</p>	